पाँचवा अध्याय: वाहनों पर कर

5.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2014–15 में हमने परिवहन विभाग के 22 ईकाइयों में से 12 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जांच की जिसमें 1,683 प्रकरणों में ₹ 30.62 करोड़ के व्यापार कर की कम वसूली, कर एवं शास्ति का वसूली तथा अन्य अनियमितताएँ पायी गयी जो निम्नानुसार तालिका 5.1 में श्रेणीवार वर्गीकृत है।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'यात्री एवं माल यानों के वाहनस्वामियों से कर का कम वसूली/अवसूली' पर वृहत कंडिका	1	21.40
2.	व्यापार कर का कम वसूली	302	3.30
3.	कर एवं शास्ति की अवसूली	1,283	5.89
4.	अन्य अनियमितताएं	97	0.03
योग		1,683	30.62

लेखापरीक्षा के दौरान, 1,285 प्रकरणों में विभाग द्वारा व्यापार कर के कम वसूली, यानकर एवं शास्ति की अवसूली एवं अन्य अनियमितताएँ जिसमें राशि ₹ 5.76 करोड़ सन्निहित है को मान्य किया गया लेकिन कोई वसूली नहीं की गई।

'यात्री एवं माल यानों के वाहनस्वामियों से यानकर का कम वसूली/अवसूली' पर एक वृहत प्रारूप कंडिका जिसमें राशि ₹ 21.40 करोड़ सन्निहित है अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5-2 **;k=h ,oa eky ;kuksa ds okguLokfe;ksa ls ;kudj dk de olwyh@voLkwyh** ij o`gr dafMdk

eq[;k'k

- क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा करों के मांग एवं वसूली पंजी एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की पंजी का संधारण/अद्यतन नहीं किया गया।

¼dafMdk 5-2-9½

- जुलाई 2011 से मार्च 2015 के मध्य कुल 2,583 पंजीकृत यात्री यानों में से 133 यात्री यानों के स्वामियों से व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का निर्धारण न करने से, प्रत्येक स्लीपर को दो सीट न मानने से, शैक्षणिक संस्थाओं से अन्यत्र उपयोग करने पर रियायती दर से कर आरोपण करने आदि के कारण यानकर की राशि ₹ 2.25 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

¼dafMdk 5-2-10½

- चयनित परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2010 से फरवरी 2015 तक के कुल 1,61,380 पंजीकृत वाहनों में से 5,677 वाहन स्वामियों द्वारा ना तो यान कर एवं शास्ति की राशि ₹ 19.05 करोड़ का भुगतान किया गया ना ही विभाग द्वारा कोई मांग जारी की गई।

¼dafMdk 5-2-11½

5-2-1 izLrkouk

राज्य के कुल कर राजस्व में से परिवहन विभाग का योगदान लगभग पांच प्रतिशत है तथा मोटर यान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर यान नियम 1989, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम 1994 में निहित प्रावधानों अनुसार वाहनों के पंजीकरण, कर एवं शुल्कों का आरोपण एवं उदग्रहण, परमिट का जारी किया जाना, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना, शास्ति का आरोपण आदि का संचालन एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। गैर–परिचालित वाहनों के पंजीकरण के समय एकमुशत कर का उदग्रहण किया जाता है, जबकि यात्रीयानों एवं मालयानों/स्कुल बसों से क्रमशः मासिक एवं त्रैमासिक कर अग्रिम में जमा किया जाता है। यात्री यानों को लोक सेवा यान एवं निजी सेवा यान में विभेद किये गये है। यात्रीयानों को उनके अनुज्ञात बैठक क्षमता, अनुज्ञात दूरी एवं सेवा के आधार पर परमिट जारी कि जाती है। मालयानों के प्रकरण में राष्ट्रीय अनुज्ञा एवं राज्य अनुज्ञा जारी किया जाता है तथा कर का आरोपण वाहन के पंजीकृत लदान भार अनुसार किया जाता है। विभाग द्वारा वाहनों के पंजीकरण एंव करों के संग्रहण हेतु okgu (फरवरी 2011) एवं चालक/सहचालक लाईसेंस हेतु lkjFkh (दिसम्बर 2010) साफ्ट्वेयर को लागू किया गया। मार्च 2015 के अंत तक राज्य में विभिन्न प्रकार के कुल 34,86,839[1] वाहन पंजीकृत थे।

[1] 45,283 यात्रीयान; 1,42,966 मालयान; 42,092 मोटरकैब/टेम्पो/तिपहिया आटो; 30,18,008 दुपहिया/कार/जीप; 1,42,226 ट्रेक्टर; 944 स्कूल बस एवं 95,320 अन्य वाहन

5-2-2 foHkkxh; lajpuk

मुख्यालय स्तर पर प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) के दिशा–निर्देशों पर परिवहन विभाग कार्य करती है, जिसके सहयोग के लिए एक अतिरिक्त प.आ., एक सह आयुक्त, एक सहायक आयुक्त एवं एक उपसंचालक (वित्त) होते है। इसके अतिरिक्त चार क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ), दो अतिरिक्त क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (अति.क्षे.प.अ.) और 16 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होते हैं। इसके अतिरिक्त 15 जांच चौकी एवं एक उप–जांच चौकी संबंधित क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में हैं।

विभाग में विभिन्न प्राधिकारियों के कार्यों का विवरण नीचें rkfydk 5-2 में वर्णित है:

rkfydk 5-2

Lrj	dk;l
परिवहन आयुक्त	नितियों का निष्पादन एवं लागू करना, निदेशन एवं प्रशासन, करों में बदलाव हेतु प्रस्ताव देना आदि हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रकरणों में दिये गये आदेशों के सुनवाई हेतु अपिलिय अधिकार है।
क्षे.प.अ.	परमिट जारी करना, लाइसेंस जारी करना, वाहनों के पंजीकरण एवं यानकर का निर्धारण और उदग्रहण हेतु उत्तरदायी है।
अति.क्षे.प.अ. /जि.प.अ.	परमिट जारी करना छोड़कर क्षे.प.अ. द्वारा किये गये समस्त कार्यों से संबंधित निष्पादन करना। अति.क्ष.प.अ./जि.प.अ. के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों का परमिट क्षे.प.अ. द्वारा जारी किया जाता है।

5-2-3 y[kkijh{kk mís';

लेखापरीक्षा का कार्य यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया कि:

- करों के निर्धारण, उदग्रहण एवं शासकीय खाते में प्रेषण की प्रणाली विद्यमान है तथा कार्य सुचारू रूप से कर रहें है;
- परमिट/एन.ओ.सी./फिटनेस आदि हेतु अधिनियम/नियम में प्रावधानित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है; और
- विभाग डिमांड नोटिस को जारी करने में त्वरित कदम उठाती है, कर का समय में प्रेषण होता है और आंतरिक नियंत्रक समुचित रूप से कार्य कर रहे है।

5-2-4 y[kkijh{kk ekin.M

नीचे दर्शाया गए अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों के उपबंध का उपयोग लेखापरीक्षा मापदण्ड़ हेतु किया गया है:

- मोटर यान अधिनियम, 1988;
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- इस अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत समय–समय पर जारी किये गये कार्यकारी आदेशों।

5-2-5 y[kkijh{kk dk {k= vkj dk;i)fr

लेखापरीक्षा का कार्य माह मई एवं जुलाई 2015 के मध्य वर्ष 2010–11 से 2014–15 के अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा के दौरान हमने राज्य के 22 क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. में से नौ इकाइयों[2] का चयन ध्यान सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया। हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय यानि राज्य परिवहन प्राधिकरण के अभिलेखों की भी जांच की। इसके अलावा सामान्य लेखापरीक्षा (अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं जि.प.अ. महासमुंद) के दौरान पायी गई अनियमितताएं को भी अद्यतन कर उचित जगह में वर्णित किया गया है। लेखापरीक्षा का उद्देश्य एंव कार्यक्षेत्र का चर्चा प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त से दिनांक 15 जून 2015 को अंतर्गमन सम्मेलन में किया गया। वृहत प्रारूप कंडिका पर चर्चा प्रमुख सचिव से दिनांक 07 अक्टुबर 2015 को बहिर्गमन सम्मेलन में किया गया। जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षण निष्कर्ष और अनुशंसाए पर चर्चा की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त उत्तरों को सम्यक रूप से संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

5-2-6 vfHkLohd`fr

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों और जानकारी को उपलब्ध कराने तथा लेखापरीक्षा कार्य अल्प समय में बिना विलंब के संपादन पर परिवहन विभाग के सहयोग की अभिस्वीकृत करता है।

5-2-7 jktLo izkfIr;ksa dh izo`fRr

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के मध्य यानकरों के बजट अनुमान (ब.अ.), वास्तविक प्राप्तियों (व.प्र.) का विवरण नीचे rkfydk 5-3 में वर्णित है:

rkfydk 5-3

(₹ djkM+ e)

o"k	ctV vuqeku ¼c-v-½	okLrfod izkfIr;k ¼o-iz-½			c-v- ,oa o-iz-d vrj vf/kD;¼$½@deh ¼&½	vrj dk izfr'kr	xr o"k dh rqyuk e o"k d o-iz- d vrj dk izfr'kr
		;k=h ,o eky ;kuk	vU; ;kuk	;kx			
2010–11	410.00	15.04	412.48	427.52	17.52	4.27	...
2011–12	475.00	22.01	480.17	502.18	27.18	5.72	17.46
2012–13	605.71	28.00	563.75	591.75	(–) 13.96	(–) 2.30	17.84
2013–14	731.38	27.07	624.00	651.07	(–) 80.31	(–) 10.98	10.02
2014–15	800.00	39.05	664.43	703.48	(–) 96.52	(–) 12.07	8.05

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में ब.अ. के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्त कर लिये थे, जबकि वर्ष 2012–13 से 2014–15 के मध्य ब.अ. लक्ष्य प्राप्त करने

---

2 क्षे.प.अ., अंबिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर, अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं राजनांदगांव, जि.प.अ. कांकेर, कोरबा, महासमुंद एवं रायगढ़

में विफल रहा। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान ब.अ. एवं व.प्र. का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक था। अतः विभाग द्वारा ब.अ. तैयार करने में एकरूपता का पालन नहीं किया गया। आगे, वर्ष 2012–13 में गत वर्ष के व.प्र.का दर 17.84 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2014–15 में 8.05 प्रतिशत हो गई।

विभाग ने अपने उत्तर (मई 2015) में कहा कि सितम्बर 2013 से कर की दर में कमी होने के कारण ब.अ. की प्राप्ति नहीं कि जा सकी।

5-2-8 cdk;k jktLo dk fo'y"k.k

31 मार्च 2015 की स्थिति में बकाया राजस्व राशि ₹ 10.35 करोड़ थी, जिसमें से पांच वर्ष से अधिक बकाया ₹ 3.52 करोड थी। अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति rkfydk 5-4 में नीचे दर्शित हैः

rkfydk 5-4

(₹ djkM+ e)

o"k	cdk;k dk iko 'k"k	o"k e: tkjh dh xbl ekx	o"k d: nkjku olly jktLo	cdk;k dk vir 'k"k
2010&11	3.52	5.05	5.09	3.48
2011&12	3.48	11.17	4.65	10.00
2012&13	10.00	3.67	7.49	6.18
2013&14	6.18	8.85	7.84	7.19
2014&15	7.19	20.06	16.90	10.35

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि विभाग 30 नवम्बर 2015 तक बकाया एवं शास्ति का एकमुस्त वसूली किये जाने हेतु योजना बना रही है।

y[kkijh{kk i:{k.k

हमने नौ परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों के जांच की और पाया कि 31 मार्च 2015 कि स्थिति में कुल 35,719 यात्रीयानों, 1,25,345 मालयानों, 316 स्कूल बसों एवं 5,795 मोटरकैब/जीपें पंजीकृत थें। इन पंजीकृत वाहनों में से लेखापरीक्षा द्वारा 5,706 यात्रीयानों, 7,387 मालयानों, 207 स्कुल बसों एवं 550 मोटरकैब/जीपों का नमूना जांच कि। हमने 5,853 वाहनों में यानकरों की कमवसूली/अवसूली, 28 वाहनों का बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त के परिचालित इत्यादि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

5-2-9 dj d ekx ,o olyh ith ,o ithdj.k iek.k i= ith dk l/kkj.k@v|ru u fd;k tkuk

foHkkx e dj d ekx ,o olyh ith ,o ithdj.k iek.k i= ith dk l/kkj.k@v|ru ugh fd;k tk jgk gA

मई 2015 से जूलाई 2015 के मध्य चार इकाइयों[3] के कर के मांग एवं वसूली पंजी/पंजीयन प्रमाण पत्र की पंजी के नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि विभाग द्वारा करों के मांग एवं वसूली पंजी का संधारण/अद्यतन नहीं किया जा रहा है, जो कि छ.ग.म.क. अधिनियम के धारा 22 सहपठित छ.ग.म.क. नियम के अनुसार बाध्यकारी है। आगे पंजीकरण प्रमाण पत्र की पंजी का संधारण ठीक से नहीं किया जा रहा है। कुल फेरा दूरी, सेवा के प्रकार, अवधि जिस दौरान वाहन आफ–रोड़ रहा, बसों के ओव्हरहैंग, अंदर कमरे की लंबाई चौड़ाई, इन विवरणों को इंद्राज करने वाले कर्मचारी का नाम पदनाम एवं क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. की प्रविष्टि पंजीयन प्रमाण पत्र के पंजी में नहीं किया जा रहा है, जो कि करारोपण एवं कोई त्रुटि होने की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारण करने हेतु अति आवश्यक है। इनका पालन न करने से छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 51–क के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि अधिनियम/नियमों में प्रावधानित वांछित अभिलेखों के संधारण करने हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों को निर्देश दे दिये गये है।

5-2-10 dj dh de olyh

tyk 2011 l ekp 2015 d e/; dy 2]583 ithdr ;k=h;kuk e l 133 ;k=h;ku Lokfe;k l 0ghycl vuIkj cBd {kerk dk fu/kkj.k u dju] ,d Lyhij dk nk lhV u eku dj djkjki.k dju l] 'k{kf.kd lLFkkvk l brj i;kt dj fj;k;r nj ij ekU; fd; tku d QyLo:i ;kudj jkf'k ₹ 2-25 djkM+ dk de olyh gbA

छ.ग.म.क. अधिनियम के धारा 3 अनुसार राज्य में उपयोग में लाए गए या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण प्रथम अनुसूची के सरल क्र.4 में विनिर्दिष्ट दर से किया जायगा। अधिनियम के धारा 13(1) अनुसार अगर वाहनस्वामी द्वारा कर का संदाय नहीं किया गया है तो शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त कर की असंदत्त रकम के एक–बारहवें की दर से, किन्तु कर की बकाया तथा असंदत्त रकम के बराबर से अनाधिक, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा। जहां कोई वाहन स्वामी इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर या शास्ति या दोनों का संदाय करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसी रीति में वसूल किया जा सकेगा जिस रीति में भू–राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

जूलाई 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य सात[4] इकाइयों के कर की मांग एवं वसूली पंजी, पंजीकरण प्रमाण पत्र के पंजी, परमिट फाईल एवं cgtransport.org पोर्टल के नमूना जांच

---

3 क्षे.प.अ., अंबिकापुर, अति.क्षे.प.अ., दुर्ग, जि.प.अ., रायगढ़ एवं क्षे.प.अ. रायपुर

4 क्षे.प.अ., अंबिकापुर एवं रायपुर; अति.क्षे.प.अ., दुर्ग; जि.प.अ., कांकेर, कोरबा, महासमुंद एवं रायगढ़

के दौरान हमने देखा (मई एवं जूलाई 2015 के मध्य) कि कुल 2,583 पंजीकृत यात्री यानों में सें 133 यानों से यानकर का कम वसूली हुआ, जो नीचे उल्लेखित है।

5-2-10-1 हमने अति.क्षे.प.अ., दुर्ग कार्यालय में देखा कि जुलाई 2011 से मार्च 2015 के दौरान एक वाहन स्वामी द्वारा 18 बसों को रियायत दर ₹ 30 प्रति सिट प्रति तिमाही के दर से यानकर का भुगतान कर रहा था। इन बसों को शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थीयों एवं कर्मचारियों के परिवहन में उपयोग किया जा रहा था।

चूंकि ये बसें किसी शैक्षणिक संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत नहीं थे, कर की रियायती दर तभी मान्य थें जब यह सुनिश्चित हो की वाहन का उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के परिवहन हेतु किये गये थे। अभिलेखों में इसका कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। अति.क्षे.प.अधि. से अनुरोध करने पर भी उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार छ.म.क.अ. के अनुसूची एक के प्रविष्ट सात अनुसार ₹ 600 प्रति सिट प्रति तिमाही के दर से आरोपित किया जाना चाहिए था। अतः राशि ₹ 61.37 लाख का कम कर वसूली हुआ साथ ही शास्ति ₹ 55.23 लाख भी आरोपणिय है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि इन बसों का शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व में नहीं थे, लेकिन इन बसों का प्रयोज शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के परिवहन हेतु किया गया है। तदानुसार रियायत दर पर कर वसूल किया गया। शासन का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इन बसों को शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के परिवहन करने हेतु साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

5-2-10-2 हमने पांच[5] ईकाइयों में देखा की जि.प.अ./क्षे.प.अ. द्वारा सामान्य सेवा हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित बैठक क्षमता अनुसार कर का संदाय किया जा रहा है। यह शासन के अधिसूचना (जूलाई 2012) का उल्लंघन था, जो यह व्याख्या करता है कि साधारण प्रक्रम सेवा यानों के कर का संदाय उनके व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का गणना कर किया जाना चाहिए। अवधि दिसम्बर 2012 से दिसम्बर 2013 के मध्य 90 वाहनों का कर का संदाय व्हीलबेस अनुसार बैठक क्षमता का ज्ञात न कर किये जाने से राशि
₹ 11.36 लाख का कम यानकर वसूली हुआ, साथ ही शास्ति ₹ 11.36 लाख भी आरोपणीय है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा व्हीलबेस अनुसार कर का संदाय करने हेतु सुधारात्मक कदम उठायें जायेंगें।

5-2-10-3 हमने अति.क्षे.प.अ., दुर्ग में पाया कि 23 बसों द्वारा बिना स्लीपर को दो सीट मानते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र में उल्लेखित सिटों तथा स्लीपरों अनुसार कर का संदाय किया जा रहा था। शासन के अधिसूचना (जनवरी 2013) अनुसार कर के उदग्रहण हेतु प्रत्येक स्लीपर को दो सीट मान कर किया जाना था। अधिसूचना का पालन न करने के कारण अवधि सितम्बर 2013 से मार्च 2014 के बीच राशि ₹ 39.54 लाख का कम यानकर वसूल हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 39.54 लाख भी आरोपणीय थी।

---

5 जि.प.अ. कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़ एवं क्षे.प.अ. रायपुर

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि संबंधित परिवहन अधिकारी से इस सबंध में जवाब मांगा गया है, तदुपरांत उचित कार्यवाही की जावेगी।

5-2-10-4 हमने क्षे.प.अ., रायपुर में हमने देखा कि एक बस 18 सीट एवं 17 स्लीपर में पंजीकृत थी। जूलाई 2013 में उडन दस्ता द्वारा भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन में पाया गया कि उक्त बस में 18 सीट एवं 23 स्लीपर होना पाया गया। जबकि, क्षे.प.अ. कर की गणना करते वक्त उडन दस्ता के प्रतिवेदन में संज्ञान न रखते हुए 18 सीट तथा 13 स्लीपर मानकर मांग हेतु डिमांड नोटिस जारी किया गया। अतः बगैर कोई कारण अभिलिखित कर क्षे.प.अ. द्वारा बैठक क्षमता को कम करने के फलस्वरूप अवधि जनवरी 2013 एवं जून 2014 के मध्य राशि ₹ 1.09 लाख का यानकर कम वसूल हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 1.07 लाख भी आरोपणीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि इंस सबंध में संबंधित परिवहन अधिकारी से जवाब मांगा गया है।

5-2-10-5 हमने जि.प.अ., कांकेर में देखा कि एक बस डिलक्स सेवा, रायपुर से जगदलपुर और वापसी (कुल फेरा– 608 कि.मी.) बैठक क्षमता 29 सीट हेतु पंजीकृत थी। नवम्बर 2013 में अन्य बस जिसकी बैठक क्षमता 55 सीट थी डिलक्स सेवा हेतु प्रतिस्थापित किया गया। जबकि वाहन स्वामी द्वारा प्रतिस्थापित बस की अवधि दिसम्बर 2013 से जूलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 से मार्च 2015 के मध्य डिलक्स सेवा हेतु आरोपणीय यान कर राशि ₹ 4.16 लाख के स्थान पर साधारण सेवा अनुसार यान कर राशि ₹ 1.51 लाख का भुगतान किया गया, जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 2.66 लाख के यान कर की कम वसूली हुई। साथ ही शास्ति ₹ 1.82 लाख भी आरोपणीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि इंस सबंध में संबंधित परिवहन अधिकारी से जवाब मांगा गया है।

5-2-11 dj dh vo lyh

vi y 2010 l Qjojh 2015 d e/; p;fur ifjogu bdkb;k l lcf/kr dy 1]61]380 i thd r okguk e l 5]677 okgu Lokfe;k }kjk ;ku dj ,o 'kkfLr ₹ 19-05 djkM dk Hkxrku ugh fd;k x;k vkj u gh foHkkx }kjk dkb ekx dh xbA

अप्रैल 2010 से मार्च 2015 के मध्य नौ[6] ईकाईयों के करों के मांग एवं वसूली पंजी, cgtransport.org पोर्टल एवं okgu साफ्टवेयर के नमूना जांच (मई एवं जून 2015 के मध्य) में पाया गया कि 31 मार्च 2015 की स्थिति में 5,148 मालयानों, 287 यात्रीयानों, 133 स्कुल बसों[7] एवं 109 मोटरकैब/जीपों[8] से क्रमशः यान कर राशि ₹ 9.93 करोड़, ₹ 95.13 लाख, ₹ 10.54 लाख एवं ₹ 8.39 लाख की वसूली नहीं हुई थी। आगे वाहन स्वामियों द्वारा आफ–रोड हेतु कोई भी घोषणा नहीं दी गई थी। जैसा कि वाहन स्वामियों से यान कर

---

6 क्षे.प.अ., अंबिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर; अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं राजनांदगांव; जि.प.अ., कांकेर, कोरबा, महासमुंद एवं रायगढ़

7 क्षे.प.अ., अंबिकापुर, अति.क्ष.प.अ., दुर्ग एवं जि.प.अ., रायगढ़

8 जि.प.अ.,कांकेर; जि.प.अ.,कोरबा; जि.प.अ.,महासमुंद एवं जि.प.अ., रायगढ़

वसूलनीय थी, क्षे.प.अ. / अति.क्षे.प.अ. / जि.प.अ. द्वारा छ.ग.म.क.अ. के धारा 15(1) में निहित प्रावधानों अनुसार वाहन स्वामी को मांग पत्र जारी करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप राशि ₹ 11.07 करोड़ यानकर अवसूल रही। साथ ही अधिनियम के धारा 13(1) के अधीन शास्ति ₹ 7.98 करोड़ भी वसूलनीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि बकाया के समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे है तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को कर का संदाय समय पर करने हेतु निर्देश दे दिये गये है।

5-2-12 fQVul iek.k i= fcuk okguk dk ifjpkyu

vBkbl ifjogu okgu fcuk fQVul iek.k i= d ifjpkyu e FkA

तीन[9] ईकाईयों के अवधि 2011—12 से 2014—15 के कुल 27,490 पंजीकृत परिवहन वाहन में से 290 वाहनों के फिटनेस अभिलेखों के जांच (जून एवं जूलाई 2015 के मध्य) में हमने देखा कि मार्च 2015 कि स्थिति में 11 यात्री यानों एवं 17 मालयानों बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के मार्गों में परिचालन में थें। इस वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र दिसम्बर 1983 एवं फरवरी 2015 के मध्य अवशान हो गये थे। यह मोटर यान अधिनियम के धारा 56 का उल्लंघन था, जिसमें यह प्रावधानित है कि कोई परिवहन वाहन धारा 39 के अधीन प्रयोजनों के लिए तभी विधिमान्यतः पंजीकृत समझा जायगा जब इस उपधारा (2) के अंतर्गत किसी प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा यह कि वाहन उस समय की सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है।

इसे जि.प.अ. द्वारा यह ध्यान नहीं दिया कि इन वाहनों के फिटनेस समाप्त हो गये है। बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र के इन वाहनों के परिचालन जन सुरक्षा एवं लोकधन के लिए जोखिम है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान तथ्य को स्वीकारते हुए शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि संबंधित कार्यालयों से इस संबंध में उत्तर मांगा गया है एवं वाहन स्वामी पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

5-2-13 cdk;k olly fd;s fcuk vukifRr iek.k i= tkjh fd;k tkuk

foHkkx }kjk okgu Lokeh l fcuk 'kk/; ;kudj olwy fcuk vukifRr iek.k i= ¼,u-vks-lh-½ tkjh fd;k x;kA

अति.क्षे.प.अ., दुर्ग के अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजी के नमूना जांच (जून 2015) के दौरान हमने देखा कि एक बस को मध्य प्रदेश के लिए स्थानांतरण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी (मार्च 2009) किया गया। आगे विभाग के cgtransport.org पोर्टल में हमने देखा कि वाहन स्वामी द्वारा माह दिसम्बर 2003 में ₹ 8000 का यान कर जमा किया। करों के मांग एवं वसूली पंजी एवं पोर्टल की जांच में यह पाया गया कि जनवरी 2004 से मार्च 2009 के बीच वाहन स्वामी द्वारा कोई कर जमा नहीं किया गया था।

मोटर यान अधिनियम के धारा 48 सहपठित केंद्रीय मोटरयान नियम के नियम 58 के अनुसार कराधान प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उस मोटर यान से संबंधित बकाया कर की वसूली कर ली गई है, जिस वाहन को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

---

9 जि.प.अ. कांकेर, कोरबा एवं रायगढ़

जबकि अति.क्षे.प.अ. द्वारा प्रति माह ₹ 8,000 की दर से 63 माहों का यानकर राशि ₹ 5.04 लाख के वसूली किये बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। इसके अलावा शास्ति राशि ₹ 5.04 लाख भी वसूलनीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय को इस संबंध में जांच कर उचित कार्यवाही करने हेतु कहा गया है।

5-2-14 'kkldh; ikfIr;k dk foyc l i"k.k

mMu nLrk }kjk okgu Lokfe;k l ikfIr jkf'k;k dk i"k.k ikp l 20 fnu foyc l fd;k tkuk

वर्ष 2014–15 के तीन[10] ईकाईयों के उड़न दस्ता द्वारा संधारित चालानों के नमूना जांच (मई एवं जूलाई 2015 के मध्य) में हमने पाया कि उड़न दस्ता द्वारा संग्रहित राशि को बैंक में प्रेषण पांच से 20 दिन के विलंब से किया गया।

उडन दस्ता द्वारा नियमित रूप से शासकीय प्राप्तियों को विलंब से जमा किया जाता है जो कि छ.ग. वित्त संहिता के नियम 3 एवं 4 एवं छ.ग.कोषालय संहिता के भाग–1 के उपनियम 7 के विरूद्ध है, जो यह प्रावधानित करता है कि ऐसी राशि जो राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा का भाग हो उसे तत्काल अविलंब से कोषालय/बैंक में जमा किया जाना चाहिए। परन्तु विभाग द्वारा ऐसी कोई रीति विकसित नहीं कि गई, जिससे यह विलंब से बचा जा सके।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि प्रत्येक उड़न दस्ता एवं जांच चौकी हेतु पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। समस्त उदग्रहित राशि को बैंक खातें में 48 घंटे के अंदर इलेक्ट्रानिक मोड़ से हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

5-2-15 vkrfjd y[kkijh{kk

विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ.ले.प.श.) का गठन इस उद्देश्य से किया जाता है कि समस्त अधिनस्थ कार्यालयों का आंतरिक जांच किया जा सके तथा जांच के दौरान पाये गये अनियमितताऐं हेतु सुधारात्मक कार्यवाही कर सके ताकि भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा किये गये लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण नीचे rkfydk 5-7 में दर्शाया गया है:

rkfydk 5-7

o"k	vdk{k.k gr p;fur dk;ky;k dh l[;k	Pk;fur dk;ky;k d fo:) vdf{kr dk;ky;k dh l[;k	tkjh fd;s x;s fujh{k.k ifronuk dh l[;k	{k-i-v-@vfr-{k-i-v-@ft-i-v- }kjk Hkt x; ikyu ifronuk dh l[;k
2010&11	16	06	06	06
2011&12	16	06	06	06
2012&13	16	15	15	11
2013&14	17	10	10	08

10 क्षे.प.अ. अंबिकापुर; अति.क्षे.प.अ., दुर्ग एवं क्षे.प.अ. रायपुर

2014&15	21	05	05	05
;kx	86	42	42	36

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार)

rkfydk 5-7 से स्पष्ट है कि आ.ले.प.श. द्वारा वर्ष 2010–11 से 2014–15 के मध्य 86 कार्यालयों का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया था, जिसमें से मात्र 42 कार्यालयों का ही लेखापरीक्षा किया जा सका। चयनित कार्यालयों के विरूद्ध वास्तविक लेखापरीक्षा की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम थी। आगे, क्षे.प.अ./अति.क्षे.प.अ./जि.प.अ. द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के छह पालन प्रतिवेदनों को दो साल से अधिक बीतने के बावजूद भी नहीं भेजें गये।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टुबर 2015) में कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

5-2-16 fu"d"k

विभाग के लिए मोटर यान करों की प्राप्ति एक जोखिम भरा मुद्दा है। विभाग द्वारा अधिनियमों/नियमों को पालन नहीं किया गया। हमारी राय में विभाग में विद्यमान प्रणाली को उद्यतन करने हेतु तत्काल अवलोकन की आवश्यकता है। हमने देखा किः

- प्रणाली में खामियों तथा उचित निगरानी की कमियों के कारण विभाग यात्री यानों एवं मालयानों से कर का आरोपण तथा संग्रहण नहीं किया गया।
- अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध बसे बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के परिचालित थे।
- अंकेक्षण किये जाने वाले कार्यालयों के विरूद्ध किये गये कार्यालयों का अंकेक्षण, प्राप्तियों के प्रेषणों में विलंब इत्यादि से यह परिलक्षित होता है कि विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा कमजोर है।